संख्या- 1/2015/ 48 /57-2015-51(जी)/2013

प्रेषक,

श्री नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त- जनपद,
उत्तर प्रदेश।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक: 30 जनवरी, 2015

विषय: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल नागरिकों को शासकीय व्यय पर हरिद्वार व ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या- 948/57-2015-51(जी)/2013 दिनांक: 24 दिसम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त संदर्भित विज्ञप्ति/प्रकीर्ण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी वरिष्ठ आवेदक की पत्नी अथवा पति की अवस्था एवं (निकट संबंधी जैसे पुत्री, पुत्र इत्यादि) "निर्धारित वरिष्ठ अवस्था" से कम हो तो इस सम्बन्ध में नियमों को शिथिल करते हुए पति-पत्नी को एक साथ यात्रा कराये जाने के सम्बन्ध में उदारता बरती जाए।

भवदीय,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।